ग्रामीण विकास मंत्रालय

मांग संख्या 87

ग्रामीण विकास विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	265374.35	2.16	265376.51	282562.05	4.14	282566.19	271907.83	4.28	271912.11	286750.29	4.24	286754.53
वसूलियां	*-103444.91*	*...*	*-103444.91*	*-105000.00*	*...*	*-105000.00*	*-98000.00*	*...*	*-98000.00*	*-99000.00*	*...*	*-99000.00*
प्राप्तियां	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
निवल	**161929.44**	**2.16**	**161931.60**	**177562.05**	**4.14**	**177566.19**	**173907.83**	**4.28**	**173912.11**	**187750.29**	**4.24**	**187754.53**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	100.49	2.16	102.65	101.54	4.14	105.68	103.82	4.28	108.10	108.28	4.24	112.52
	-0.12	...	-0.12	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*100.37*	*2.16*	*102.53*	*101.54*	*4.14*	*105.68*	*103.82*	*4.28*	*108.10*	*108.28*	*4.24*	*112.52*
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
2. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता एवं जिला आयोजना प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण	90.23	...	90.23	153.00	...	153.00	105.00	...	105.00	153.00	...	153.00
3. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान	...	...	...	97.53	...	97.53	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	**90.23**	**...**	**90.23**	**250.53**	**...**	**250.53**	**105.00**	**...**	**105.00**	**153.00**	**...**	**153.00**
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
4. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद	78.77	...	78.77	10.84	...	10.84	73.68	...	73.68	0.01	...	0.01
अन्य												
5. व्यय कटौती के फलस्वरूप समायोजित वसूलियां	-3.08	...	-3.08	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	**75.69**	**...**	**75.69**	**10.84**	**...**	**10.84**	**73.68**	**...**	**73.68**	**0.01**	**...**	**0.01**
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्र प्रायोजित योजनाएं												
6. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम												
6.01 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	6778.46	...	6778.46	6645.90	...	6645.90	7014.90	...	7014.90	6645.90	...	6645.90

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
(आईजीएनओएपीएस)												
6.02 राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	336.42	...	336.42	659.00	...	659.00	300.00	...	300.00	659.00	...	659.00
	-14.65	...	-14.65	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*321.77*	...	*321.77*	*659.00*	...	*659.00*	*300.00*	...	*300.00*	*659.00*	...	*659.00*
6.03 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूवीएस)	2009.80	...	2009.80	2026.99	...	2026.99	2026.99	...	2026.99	2026.99	...	2026.99
6.04 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस)	310.46	...	310.46	290.00	...	290.00	290.00	...	290.00	290.00	...	290.00
6.05 अन्नपूर्णा योजना	...	...	...	10.00	...	10.00	...	...	...	10.00	...	10.00
6.06 प्रशासनिक व्यय	55.95	...	55.95	20.11	...	20.11	20.11	...	20.11	20.11	...	20.11
जोड़- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	*9476.44*	...	*9476.44*	*9652.00*	...	*9652.00*	*9652.00*	...	*9652.00*	*9652.00*	...	*9652.00*
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम												
7. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि को अंतरण	89268.31	...	89268.31	86000.00	...	86000.00	86000.00	...	86000.00	86000.00	...	86000.00
8. मनरेगा- कार्यक्रम घटक	89262.67	...	89262.67	86000.00	...	86000.00	86000.00	...	86000.00	86000.00	...	86000.00
9. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि से पूरी की गई राशि	-89377.27	...	-89377.27	-86000.00	...	-86000.00	-86000.00	...	-86000.00	-86000.00	...	-86000.00
जोड़-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम	**89153.71**	**...**	**89153.71**	**86000.00**	**...**	**86000.00**	**86000.00**	**...**	**86000.00**	**86000.00**	**...**	**86000.00**
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना												
10. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना												
10.01 पीएमजीएसवाई- कार्यक्रम घटक	13449.27	...	13449.27	16100.00	...	16100.00	12100.00	...	12100.00	16600.00	...	16600.00
10.02 पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	1900.00	...	1900.00	1400.00	...	1400.00	1900.00	...	1900.00
10.03 वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों के लिए परियोजना	600.00	...	600.00	1000.00	...	1000.00	1000.00	...	1000.00	500.00	...	500.00
10.04 केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण	13969.41	...	13969.41	12000.00	...	12000.00	12000.00	...	12000.00	12000.00	...	12000.00
10.05 केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से प्राप्त राशि को घटाएं	-12690.00	...	-12690.00	-12000.00	...	-12000.00	-12000.00	...	-12000.00	-12000.00	...	-12000.00
10.06 कृषि अवसंरचना और विकास आरक्षित निधि को अंतरण	78.16	...	78.16	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10.07 घटाएं- कृषि अवसंरचना और विकास आरक्षित निधि से प्राप्त राशि	-27.25	...	-27.25	-7000.00	...	-7000.00	...	...	...	...	...	...
निवल	*15379.59*	...	*15379.59*	*12000.00*	...	*12000.00*	*14500.00*	...	*14500.00*	*19000.00*	...	*19000.00*
राष्ट्रीय आजीविका मिशन-आजीविका												
11. दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)												
11.01 एनआरएलएम- कार्यक्रम घटक	13435.03	...	13435.03	13244.30	...	13244.30	13244.30	...	13244.30	17104.00	...	17104.00
11.02 एनआरएलएम- ईएपी घटक	499.10	...	499.10	220.00	...	220.00	220.00	...	220.00	...	...	...
11.03 पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	1582.70	...	1582.70	1582.70	...	1582.70	1901.00	...	1901.00
जोड़- दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)	*13934.13*	...	*13934.13*	*15047.00*	...	*15047.00*	*15047.00*	...	*15047.00*	*19005.00*	...	*19005.00*

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
12. प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)												
12.01 पीएमएवाई-कार्यक्रम घटक	23049.60	...	23049.60	54500.13	...	54500.13	32426.32	...	32426.32	54831.99	...	54831.99
12.02 ब्याज सब्सिडी	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
12.03 केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) में अंतरण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12.04 घटाइए-केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) से प्राप्त	-1279.41	...	-1279.41	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*21770.19*	*...*	*21770.19*	*54500.14*	*...*	*54500.14*	*32426.33*	*...*	*32426.33*	*54832.00*	*...*	*54832.00*
13. कृषि अवसंरचना और विकास कोष को अतिरिक्त अंतरण	12002.22	...	12002.22	...	...	...	16000.00	...	16000.00	...	...	...
14. आरक्षित निधि से मिली हुई अतिरिक्त राशि												
14.01 कृषि अवसंरचना और विकास निधि	-53.13	...	-53.13	...	...	...	...	...	...	-1000.00	...	-1000.00
जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	**161663.15**	**...**	**161663.15**	**177199.14**	**...**	**177199.14**	**173625.33**	**...**	**173625.33**	**187489.00**	**...**	**187489.00**
कुल जोड़	***161929.44***	***2.16***	***161931.60***	***177562.05***	***4.14***	***177566.19***	***173907.83***	***4.28***	***173912.11***	***187750.29***	***4.24***	***187754.53***
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. आवासन	3858.06	...	3858.06	3919.48	...	3919.48	3845.78	...	3845.78	3919.45	...	3919.45
2. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	41.30	...	41.30	25.33	...	25.33	25.00	...	25.00	25.33	...	25.33
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**3899.36**	**...**	**3899.36**	**3944.81**	**...**	**3944.81**	**3870.78**	**...**	**3870.78**	**3944.78**	**...**	**3944.78**
आर्थिक सेवाएं												
3. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	3793.24	...	3793.24	3124.13	...	3124.13	3124.13	...	3124.13	3402.25	...	3402.25
4. ग्रामीण रोजगार	89153.71	...	89153.71	86000.00	...	86000.00	86000.00	...	86000.00	85851.06	...	85851.06
5. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	166.89	...	166.89	246.53	...	246.53	175.38	...	175.38	147.01	...	147.01
6. सड़क और पुल	12091.70	...	12091.70	201.08	...	201.08	16250.58	...	16250.58	193.23	...	193.23
7. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	100.37	...	100.37	101.54	...	101.54	103.82	...	103.82	108.28	...	108.28
8. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	2.16	2.16	...	4.14	4.14	...	4.28	4.28	...	4.24	4.24
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**105305.91**	**2.16**	**105308.07**	**89673.28**	**4.14**	**89677.42**	**105653.91**	**4.28**	**105658.19**	**89701.83**	**4.24**	**89706.07**
अन्य												
9. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	9062.40	...	9062.40	5222.12	...	5222.12	9029.23	...	9029.23
10. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	49896.16	...	49896.16	72700.49	...	72700.49	57013.11	...	57013.11	83106.19	...	83106.19
11. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	2828.01	...	2828.01	2181.07	...	2181.07	2147.91	...	2147.91	1968.26	...	1968.26
जोड़-अन्य	**52724.17**	**...**	**52724.17**	**83943.96**	**...**	**83943.96**	**64383.14**	**...**	**64383.14**	**94103.68**	**...**	**94103.68**
कुल जोड़	**161929.44**	**2.16**	**161931.60**	**177562.05**	**4.14**	**177566.19**	**173907.83**	**4.28**	**173912.11**	**187750.29**	**4.24**	**187754.53**

नोट: बजट अनुमान 2025-26 में मांग के लिए कुल निवल आवंटन 1,88,754.53 करोड़ रुपए (1,87,754.53 करोड़ रुपए प्लस 1,000 करोड़ रुपए) है। इसके अतिरिक्त 1,000 करोड़ रुपये का भुगतान पीएम ग्राम सड़क योजना के वित्तपोषण के लिए कृषि अवसंरचना और विकास निधि की शेष राशि से किया जाना है।

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान ग्रामीण विकास विभाग के सामान्य सहायता व्यय के लिए है।

2. **ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता एवं जिला आयोजना प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण:** इसमें ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और प्रशिक्षण गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं, जागरूकता सृजन (आईईसी), निगरानी तंत्र को मजबूत करने, सूचना प्रौद्योगिकी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रबंधन सहायता के प्रावधान शामिल हैं।

4. **राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद:** राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान भारत में ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण और अनुसंधान का एक शीर्ष संस्थान है। एनआईआरडी का मुख्य सरोकार विकासात्मक मुद्दों के संबंध में पाठ्यक्रम चलाने के अलावा ग्रामीण विकास और पंचायती राज कार्यकर्ताओं के लिए निगरानी और आंतरिक लेखा परीक्षा में क्षमता निर्माण करना है।

6.01. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस):** इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सहायता प्रदान की जाती है। 60-79 वर्ष की आयु के व्यक्ति को 200/- रुपए प्रति माह की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती हैऔर 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को प्रति माह 500/- रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

6.02. **राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना:** इस योजना के तहत एक गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार अपने 18 से 59 वर्ष की आयु के प्राथमिक कमाने वाले की मृत्यु पर एकमुश्त सहायता का हकदार है। सहायता राशि 20,000/- रुपए है।

6.03. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूवीएस):** योजना के तहत 40-79 वर्ष की आयु वर्ग की और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवाओं को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार 300/- रुपये प्रति माह की दर से केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। 80 वर्ष की आयु पूरी हो जाने के बाद, पेंशन की राशि बढ़ाकर रु. 500/- प्रति माह कर दी जाती है।

6.04. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस):** योजना के तहत गंभीर या एकाधिक विकलांगता वाले 18-79 वर्ष की आयु के व्यक्तियों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार से संबंधित व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार 300/- रुपये प्रति माह की दर से केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। 80 वर्ष की आयु पूरी हो जाने के बाद, पेंशन की प्रति माह राशि बढ़ाकर 500/- रुपए कर दी जाती है।

6.05. **अन्नपूर्णा योजना:** योजना के तहत, उन वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 10 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त प्रदान किया जाता है, जो पात्र होते हुए भी वृद्धावस्था पेंशन नहीं प्राप्त कर रहे हैं।

6.06. **प्रशासनिक व्यय:** वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) की योजनाओं के लिए 20.11 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती है।

8. **मनरेगा- कार्यक्रम घटक:** महात्मा गांधी नरेगा एक मांग आधारित कार्यक्रम है। सहमत श्रम बजट में वृद्धि के लिए संशोधन किया जा सकता है। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के अनुसार, किए गए कार्य के 15 दिनों के भीतर 100% मजदूरी का भुगतान करना केंद्र सरकार का दायित्व है।

10. **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना:** प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) निर्दिष्ट जनसंख्या आकार की सभी पात्र बस्तियों को हर मौसम में सड़क संपर्क प्रदान करने वाली ग्रामीण भारत में सबसे सफल पहलों में से एक है। पीएमजीएसवाई विभिन्न वर्टिकल अर्थात पीएमजीएसवाई-I, पीएमजीएसवाई-II, पीएमजीएसवाई-III और आरसीपीएलडब्ल्यूईए के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर संपर्क प्रदान करने के समर्पित उद्देश्य के साथ काम करता है। पीएमजीएसवाई सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 और पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों और विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 90:10 और बिना विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के लिए 100% केंद्रीय हिस्से के अनुपात के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना है। भारत सरकार ने जनजातीय लोगों के बीच सबसे कमजोर वर्गों के विकास और कल्याण के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) योजना शुरू की है। तदनुसार, इस योजना के तहत पीएम-जनमन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए धन के केंद्रीय हिस्से के रूप में संशोधित अनुमान 2024-2025 में 750 करोड़ रुपये की राशि और बजट अनुमान 2025-26 में 1260 करोड़ रुपये की राशि का समर्पित प्रावधान किया गया है।। भारत सरकार ने आकांक्षी ब्लॉकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आदिवासी समुदायों और गांवों के समग्र विकास के लिए वित्त वर्ष 2024-25 से प्रभावी योजना धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया है। तदनुसार, इस योजना के तहत योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निधियों के केंद्रीय हिस्से के रूप में बजट अनुमान 2025-26 में 2000 करोड़ रुपये की राशि का समर्पित प्रावधान किया गया है।

11. **दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम):** डीएवाई-एनआरएलएम का उद्देश्य ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करना है, और उन्हें तब तक लगातार पोषित और सहायता प्रदान करना है जब तक कि वे समयावधि में आय में उल्लेखनीय वृद्धि प्राप्त नहीं कर लेती हैं और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार नहीं करती हैं और घोर गरीबी से बाहर नहीं आती हैं। डीएवाई-एनआरएलएम सभी ग्रामीण गरीब महिलाओं तक पहुंचने का प्रयास करता है। इस कार्यक्रम के तहत मुख्य वित्तीय सहायता परिक्रामी निधि (आरएफ) और सामुदायिक निवेश कोष (सीआईएफ) है जो स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और उनके संघों को उनकी आजीविका गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रदान किया जाता है। डीएवाई-एनआरएलएम में महिला एसएचजी को 7% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर बैंकों से 3.00 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त करने के लिए ब्याज सबवेंशन का भी प्रावधान है। इसके अलावा, महिला एसएचजी संबंधित उधार देने वाले बैंकों के 1 वर्ष के एमसीएलआर (फंड आधारित उधार दर की सीमांत लागत) के बराबर ब्याज दर पर 3 लाख रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक के ऋण का लाभ उठा सकती हैं। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) डीएवाई-एनआरएलएम की उप योजना में से एक है। यह गरीबों की मौजूदा कृषि आधारित आजीविका को मजबूत करना और कृषि में महिलाओं की भागीदारी और उत्पादकता में सुधार करना चाहता है।

स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) गैर-कृषि क्षेत्र में छोटे उद्यमों की स्थापना के लिए स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और उनके परिवार के सदस्यों की सहायता करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्यमों की सहायता करने के लिए इसे एक इको-सिस्टम स्थापित करके किया जाता है।

देश के प्रत्येक जिले में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) स्थापित किए जा रहे हैं ताकि सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) का एक हिस्सा है, जिसे ग्रामीण गरीब परिवारों की आय में विविधता जोड़ने और ग्रामीण युवाओं की कैरियर आकांक्षाओं को पूरा करने के दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति का कार्य सौंपा गया है। डीडीयू-जीकेवाई 15 से 35 वर्ष की आयु के ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए एक प्लेसमेंट लिंक्ड कौशल विकास योजना है।

12. **प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण (पीएमएवाई-जी):** इस योजना का उद्देश्य मार्च 2029 तक अभिसरण के माध्यम से सभी वास्तविक गरीब परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ 4.95 करोड़ पक्के घर प्रदान करके सभी के लिए आवास के उद्देश्य को प्राप्त करना है। वर्तमान में, मैदानी इलाकों में लाभार्थी परिवारों को 1.20 लाख रुपये और पूर्वोत्तर राज्यों/पहाड़ी राज्यों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्रों सहित) को 1.30 लाख रुपये की इकाई सहायता प्रदान की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2025-26 से वर्ष 2028-29 तक अतिरिक्त 2 करोड़ घरों के निर्माण के लिए इकाई सहायता की मौजूदा दर को अनुमोदित कर दिया है। इस आवंटन में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के लिए प्रावधान शामिल है।

13. **कृषि अवसंरचना और विकास कोष को अतिरिक्त अंतरण:** संशोधित अनुमान 2024-25 में कृषि अवसंरचना और विकास निधि के लिए अतिरिक्त 16,000 रुपए अंतरित किए जाने का प्रावधान है।

14. **आरक्षित निधि से मिली हुई अतिरिक्त राशि:** बजट अनुमान 2025-26 में पीएम ग्राम सड़क योजना के वित्तपोषण के लिए कृषि अवसंरचना और विकास निधि की शेष राशि से अतिरिक्त 1,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है।